राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 31, सोमवार, शाके 1932–जून 21, 2010
Jyaistha 31, Monday, Saka 1932–June 21, 2010

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम

कार्मिक (क–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 8, 2010

जी.एस.आर.35ः–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 को औरं संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 22 में संशोधनः**–राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 22 का विद्यमान उप–नियम (6) हटाया जायेगा।

3. **नये नियम 22 क का अन्तः स्थापन** – उक्त नियमों के विद्यमान नियम 22 के पश्चात् और नियम 23 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 22 क अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"22 क. वन रक्षकों की सीधी भर्ती – (1) वन रक्षक के पंद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से आमंत्रित किंये जायेंगे जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अधिकथित की जाये।

(2) वन रक्षक के पद पर चयन निम्नलिखित से गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

(क) सम्बन्धित क्षेत्र का मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक — अध्यक्ष

(ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट वन संरक्षक/ — सदस्य

उप वन संरक्षक की रेंक का एक अधिकारी

(ग) जिला कलक्टर या उसका प्रतिनिधि सदस्य

(घ) सम्बन्धित वन मण्डल का वन उप संरक्षक सदस्य-सचिव

(3) आवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विहित प्रारूप में किया जायेगा और सम्बन्धित वन मण्डल के उप वन संरक्षक से अभिप्राप्त किया जा सकेगा।

(4) वन रक्षकों के पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, जहां वह आवेदन प्रस्तुत करे, आवेदन के साथ, उप वन संरक्षक के पक्ष में रेखांकित पोस्टल आर्डर या मॉग देय ड्राफट के रूप में ऐसी परीक्षा फीस का, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय समय पर विहित की जाये, संदाय करेगा।

(5) ऐसा आवेदन, जो अपूर्ण पाया जाये या इस निमित्त जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं भरा गया हो, उप नियम (2) के अधीन गठित समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा। समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे शेष अभ्यर्थियों को परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करेगा जिन्हें वह प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करना उचित समझे। किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उस परीक्षा में प्रवेश हेतु समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र धारित न करता हो। परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा यह स्वयं सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह आयु, शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के सम्बन्ध में नियमों में यथा-उपबंधित शर्तें पूरी करता है। परीक्षा देने की अनुज्ञा अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा के लिए हकदार नहीं बनायेगी। समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बाद में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगी/करेगा जो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करें। किसी अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश, पात्रता और परिणामतः शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रवेश और साक्षात्कार के बारे में समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) वन रक्षक की भर्ती के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निदेशों के अधीन पूरे राज्य में एक ही समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा वस्तुपरक और पचास अंकों की होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामलों और राजस्थान के विशेष सन्दर्भ के साथ इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल आदि पर प्रश्न सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को अन्तिम चयन के लिए विचार में लिया

जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाये गये प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य में के अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के पांच गुणा तक निर्बधित होगी।

(7) शारीरिक दक्षता परीक्षण, अर्हक प्रकृति का होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो निम्नलिखित तीनों मदों में पृथक्–पृथक् रूप से अर्हित हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा और बीस अंक प्रदान किये जायेंगे और शेष को अनर्हित घोषित किया जायेगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं के जौखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे। वन रक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्नलिखित मद अंतर्विष्ट होंगे :–

<u>पुरूषों के लिए</u>

	मद	मापमान
1.	25 कि.मी. पद चाल	4 घण्टे
2.	सिट अप्स	1 मिनट में 25 दोहराव
3.	किक्रेट बाल फेंक (थ्रो)	55 मीटर

<u>महिलाओं के लिए</u>

	मद	मापमान
1.	14 कि.मी. पद चाल	4 घण्टे
2.	स्टैंण्डिॅग ब्रॉड जम्प्स	1.35 मीटर
3.	शॉट पुट(4 कि.ग्रा.)	4.5 मीटर

<u>भूतपूर्व सेना कार्मिकों/जनजातीय सब प्लान क्षेत्र के सहरिया और अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए</u>

	मद	मापमान
1.	25 कि.मी. पद चाल	4 घण्टे
2.	सिट अप्स	1 मिनट में 22 दोहराव
3.	किकेट बाल फेंक (थ्रो)	50 मीटर

– सिट अप्स के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, अपनी गुथी हुई भुजाओं को सिर के नीचे रखेगा, उसकी टांगे पूर्णरूप से तनी हों और अपने ऊपरी शरीर को उठायेगा। उठते समय अपने ऊपरी शरीर को कम से कम 90 डिग्री तक उठायेगा (उसे जमीन के साथ लम्बवत् करते हुए) और उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिएं।

– स्टैंण्डिॅग ब्रॉड जम्प्स के लिए, अभ्यर्थी स्थिर दशा (बिना दौड लगाये) से कूदेगा और कूदने व साथ ही साथ टेक लगाते समय दोनों टांगों को साथ–साथ रखेगा।

– प्रत्येक मद के लिए केवल एक अवसर दिया जायेगा।

– शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

(8) ऐसे अभ्यर्थी, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करते हैं, समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार दस अंकों का होगा। इसमें अभ्यर्थी की उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए अभिरुचि और व्यक्तित्व निर्धारण अन्तर्विष्ट होगा। अभ्यर्थियों से समस्त मूल प्रमाण पत्रों की प्रति साक्षात्कार के ठीक पूर्व प्राप्त की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न फोटो प्रतियों का उनकी अधिप्रामाणिकता के सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के साथ मिलान किया जायेगा। बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों को आवश्यक रूप से देखा जायेगा।

(9) समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करें और जिन्हें वे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, एक सूची तैयार करेगी और उसे प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, बीस अंक के शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंकों के योग के आधार पर योग्यता कम में व्यवस्थित करेगी। समिति केवल ऐसे अभ्यर्थियों की शिफारिश करेगी जिन्होंने कुल मिलाकर पैंतालीस अंक प्राप्त कर लिए हों, यदि पैंतालीस अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो तो समिति आरक्षित रिक्तियों की संख्या के बराबर ऐसे प्रवर्गों के उन अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करेगी जो साक्षात्कार के लिए अर्हित हैं चाहें वे कुल मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहे हों। समिति विज्ञापित रिक्तियों के पचास प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक आरक्षित सूची भी तैयार करेगी।

4. नियम 23 में संशोधन – उक्त नियमों के नियम 23 के उप नियम (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 22" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के अधीन तैयार" के पूर्व अभिव्यक्ति "या, यथास्थिति, नियम 22 क" अंतः स्थापित की जायेगी।

5. अनुसूची I में संशोधन – उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची I की कम संख्या 5 के सामने स्तम्भ 4 में अभिव्यक्ति "मिडिल पास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य अर्हता" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ 2(1)डीओपी/ए-II/86]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
नलिनी कठोतिया,
शासन उप सचिव।